2017/000035

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

आशिक खॉं बनाम भंवरू खॉं व श्रीमती चन्दा

किस्म मुकदमा 23 उप. **नम्बर 21/2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.19	अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। पत्रावली पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बतौर भूमिहीन दिनांक 25–10–1990 को चक 2 डीएल तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 167/29 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 167/37 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होने व तमाम शर्ते पूर्ण करने की स्थिति में दिनांक 28–12–2007 को उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी प्रदान की गई व उक्त खातेदारी आदेश के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरणकरण संख्या 147 वर्ष 2008 में दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरणकरण के पश्चात् वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य व्यक्ति पृथ्वीसिंह पुत्र रामसुख जाति कुम्हार निवासी चक 7 बीएचडी सिकरोडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ को दिनांक 03–07–2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अपने मूल आवंटन आदेश दिनांक 25–10–1980 को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती देते हुए एक अपील प्रस्तुत की गई तथा कथन किया गया कि पूर्व में आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज होने से उसे कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अन्यत्र भूमि प्राप्त करने के आदेश गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09–07–2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/38 में 17 बीघा 9 बिस्वा कमाण्ड	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

व 0.15 बीघा अनकमाण्ड कुल 18.04 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 168/30 में 3.18 बीघा कमाण्ड कुल 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जो स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 09–07–2018 को आवंटित भूमि पूर्व में ही अपीलांट को दिनांक 18–02–1992 में ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 159 बारानी आवंटित भूमि है जो चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/38 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 168/47 की 14 बीघा कुल 39 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। अपीलांट उक्त भूमि पर आज दिनांक तक काबिज है तथा मौके पर तारबन्दी व सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। वर्तमान में वादगत् भूमि पर कनक व सरसों की फसल काश्त की हुई है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि पूर्व आवंटन भूमि पृथ्वीसिंह के नाम किस प्रकार आई। यदि अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जाती तो यह स्थिति स्वमेव अदालत मातहत के समक्ष आ जाती की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने मूल आवंटन में प्राप्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करते हुए बेचान किया जा चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अन्य भूमि आवंटन के आदेश प्राप्त किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना रिपोर्ट प्राप्त किये व बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आवंटन आदेश जारी किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि जोकि अपीलांट को वर्ष 1992 में आवंटित भूमि है, के खातेदारी अधिकार हेतु धोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 01–09–2016 को प्रस्तत किया गया था। उक्त दावे के साथ धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत स्वयं द्वारा दिनांक 01–09–2016 को वादगत् भूमि चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/38 की 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 168/47 की 14 बीघा कुल 39 बीघा के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश स्वयं वर्तमान पूगल पीठासीन अधिकारी एसडीएम, पूगल द्वारा प्रदान किये गये थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष तमाम तथ्य प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1992 से आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादगत् भूमि अन्य व्यक्ति को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

रहन, बैय व मुन्तकिल की गई व अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–07–2018 की पालना स्थगित फरमाते हुए वादगत् भूमि चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/38 में 17 बीघा 9 बिस्वा कमाण्ड व 0.15 बीघा अनकमाण्ड कुल 18.04 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 168/30 में 3.18 बींघा कमाण्ड कुल 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के प्ररिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 09–07–2018 जिसके माध्यम से अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(1) इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन दिनांक 25–10–1990 को चक 2 डीएल तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 167/29 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 167/37 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। **उक्त आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी जैर की खातेदारी प्राप्त करते हुए वादगत् भूमि अन्य व्यक्ति पृथ्वी सिंह पुत्र रामसुख को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–07–2008 को अर्थात 12 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर दी गई थी। उक्त आश्य की पुष्टि नामान्तरणकरण संख्या 148 से होती है।**

(2) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए बदनियति से षडयंत्रपूर्वक मिथ्या कथन आश्यपूर्वक करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा कथन किया गया कि चूंकि वादगत् भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो पाने के कारण अन्यत्र भूमि आवंटन की जावे। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11–12–2017 को अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस स्पष्ट निर्देश के साथ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रतिप्रेषित की गई कि वे अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही करे। इसके साथ ही उक्त आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया था कि:–

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार–बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना–बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

अतिरिक्त अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को उक्त तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व समस्त तथ्यों की जॉच करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा मात्र न्यायालय हाजा की आड़ में अथवा उक्त आदेश का सहारा लेते हुए वादगत् भूमि का आवंटन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करत हुए किया गया है।

(4) आवंटन के मामलों में कानून की यह स्पष्ट मंशा है कि कोई भी आवंटन बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के नहीं किया जा सकता

Scanned by CamScanner

है। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के उक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना किया जाना परिलक्षित होता है।

(5) प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्थिति भी सामने आई है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09–07–2018 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश के पश्चात् दिनाक 25–07–2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरणकरण संख्या 107 दर्ज किया गया तथा दिनांक 06–08–2018 को खातेदारी प्रदान की गई व दिनांक 24–08–2018 को उक्त भूमि का विक्रय अन्य व्यक्ति चन्दा पत्नी आनन्दकुमार को कर दिया गया। इस प्रकार तमाम कार्यवाही एक माह व पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि तमाम कार्यवाही आपस में मिलीभगत करते हुए की गई है। जो जालसाजी कर षड्यंत्रपूर्वक राजकीय भूमि को बेईमानी पूर्ण आशय से खुर्दबुर्द कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आश्य से किया गया स्वयंसिद्व अपराध की कोटि का कृत्य है।

(6) इसी प्रकार में प्रस्तुत मामलें में यह भी स्थिति सामने आई है कि अदालत मातहत स्वयं के न्यायालय में वादगत् भूमि के बाबत् दावा धोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा का जैरकार था तथा **अदालत मातहत स्वयं द्वारा दिनांक 01–07–2016 को वादगत् भूमि के बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये थे। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत स्वयं के स्थगन आदेश के बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उक्त तथ्य को दरकिनार करते हुए किया गया परिलक्षित होता है।**

(7) प्रकरण में उक्त तमाम तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार पूगल के प्रार्थना पत्र दिनाक 08–02–2019 के अनुसरण में पत्रावली पेशी पर लेते हुए दिनांक 09–07–2018 को किये गये आवंटन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आवंटन भवरू खॉ पुत्र भालुखॉ जाति मुसलमान को पूर्व में जो भूमि आवंटित हुई थी, जिसकी खातेदारी प्राप्त कर आवंटी द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा विक्रय कर दी गई। इस तथ्य को छिपाते हुए भंवरू खॉ द्वारा उक्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14–02–2019 को आवंटी भंवरू खॉ पुत्र भालु खॉ को दिनांक 09–07–2018 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

(8) प्रकरण में अदालत मातहत को उक्त तथ्य की जॉच पूर्व में अर्थात दिनांक 09–07–2018 को आवंटन किये जाने से पूर्व की जानी चाहिए थी। जैसा की अदालत मातहत द्वारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न हुई है।

(9) उपरोक्त तमाम तथ्यों से यह स्थिति सामने आती है कि प्रस्तुत प्रकरण संबंधित पटवारी द्वारा अपने राजकीय दायित्यों का निवर्हन भलींमांति नहीं किया गया है तथा पीठासीन अधिकारी जोकि अन्य दिगर कार्य यथा चुनाव व अन्य राजकीय कार्य में व्यस्तता का लाभ उठाते हुए व प्रकरण से संबंधित तमाम तथ्यों को जानबूझकर छिपाते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से उपरोक्त आवंटन करवाया गया है। इस संबंध में जब प्रकरण से संबंधित तमाम स्थिति पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपलस्थि आने पर स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसीलदार पूगल के पत्र दिनांक 08–02–2019 पर प्रसंज्ञान लेते हुए उपरोक्त आवंटन को दिनांक 14–02–2019 को निरस्त करते हुए उपरोक्त भूमि की खातेदारी/बैयनामा संबंधी इन्द्राज को निरस्त करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश संबंधित तहसीलदार को प्रदान किये गये है। इस संबंध में पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में इस प्रकार के अन्य आवंटनों की शंका की दशा में आवश्यक जॉच करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(10) प्रकरण में अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी संबंधित पक्षकारों व पटवारी हल्का के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुए संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करावें व दोषी व्यक्तियों को विरूद्व कार्यवाही निष्पादित करें। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(11) प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 09–07–2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई। चूंकि उक्त आदेश स्वयं अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14–02–2019 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः अपीलांट की अपील निष्फल होने से निष्प्रभावी धोषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner